राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 13/2021

दायर दिनांक 1.02.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. नाथी देवी पत्नि सुखदेव जाति जाट निवासी सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
2. सुरज्ञान देवी पत्नि जीवणराम जाति जाट निवासी सुरसुरा तहसील रूपनगढ़

----वादी

बनाम

1. काना पुत्र मांगू जाति जाट
2. किशना पुत्र मांगू जाति जाट
3. श्रीमती झगरी पत्नि मांगू जाति जाट सर्वनिवासी ग्राम सुरसुरा
4. बैंक आफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा जरिये शाखा प्रबन्धक
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

--प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0का0अधि0 विभाजन बाबत्

निर्णय

दिनांक 4.4.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदार एवं संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख0न0 152 रकबा 01.6180 है0 भूमि ग्राम सुरसुरा पटवार मंडल सुरसुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है। वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि है। वर्णित भूमि में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा निहित है। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्सों का मौके पर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का विधिवत नाप चौक करके वंटवारा नहीं हो रखा हैं। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उपरोक्त आराजी भूमि संयुक्त खाते में दर्ज है एवं संयुक्त कब्जेकाश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य विधिक रूप से राजस्व रिकार्ड व नक्शे में एवं मौके पर बंटवारा नहीं होने से आये दिन वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य वाद विवाद, लड़ाई–झगड़ा होता रहता है। दिनांक 13.1.2021 को वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को वादअधीन कृषि भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने सहमति से विधिवत बंटवारा करने से इन्कार कर दिया। दिनांक 13.1.2021 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को वादअधीन कृषि भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने सहमति से विधिवत बंटवारा करने से इन्कार कर देने पर ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़ में विवाद उत्पन्न हुआ जो दिन प्रतिदिन जारी है। प्रतिवादी संख्या 5 बैंक के यहां भूमि [illegible] होने की वजह से तथा प्रतिवादी संख्या 6 को लैंड होल्डर होने के कारण मुकदमा पक्षकार बनाया गया हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर में में स्थित होने से इस वाद को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार स्थानीय न्यायालय को है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.04.12 11:30:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

अंतिम डिकी

आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी

<u>अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ़ (अजमेर)</u>

व इजलास–श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 13/21

1. नाथी देवी पत्नि सुखदेव जाति जाट निवासी सुरसुरा तहसील रूपनगढ
2. सुरज्ञान देवी पत्नि जीवणराम जाति जाट निवासी सुरसुरा तहसील रूपनगढ

––––वादी

<u>बनाम</u>

1. काना पुत्र मांगू जाति जाट
2. किशना पुत्र मांगू जाति जाट
3. श्रीमती झमरी पत्नि मांगू जाति जाट सर्वनिवासी ग्राम सुरसुरा
4. बैंक आफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा जरिये शाखा प्रबन्धक
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

––प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0का0अधि0 विभाजन बाबत्</u>

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–व–रू श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस. व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दयलाह पेश होकर अंतिम डिकी किया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरसुरा के ख0न0 152 रकबा 01.6180 है0 भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम निम्नानुसार अंकन किये जाने किये जाने के आदेश किये जाते है–

क्र0 सं0	नाम खातेदार	ख0न0	रकबा (है0)	किस्म
1	नाथी देवी पत्नि सुखदेव हि0 1/2, सुरज्ञान देवी पत्नि जीवणराम हि0 1/2 जाति जाट सा0देह खातेदार	152/1	0.7610	बा–2
2	काना पुत्र मांगू हि0 1/3, किशना पुत्र मांगू हि0 1/3, झमरी पत्नि मांगू हि0 1/3 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा	152/2	0.7610	बा–2
3	नाथी देवी पत्नि सुखदेव हि0 1/4 सुरज्ञान देवी पत्नि जीवणराम हि0 1/4 काना पुत्र मांगू हि0 1/6, किशना पुत्र मांगू हि0 1/6, झमरी पत्नि मांगू हि0 1/6 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन काना, किशना, झमरी का हिस्सा बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा	152/3	0.0960	बा–2

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक 4.04.2022 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.04.12 11:30:59 IST
Reason: SelfAttested